

संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जायेगा। संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जायेगा। संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जायेगा।

- ✓ संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जायेगा। संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जायेगा। संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जायेगा।
- ✓ संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जायेगा। संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जायेगा। संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जायेगा।
- ✓ संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जायेगा। संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जायेगा। संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जायेगा।
- ✓ संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जायेगा। संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जायेगा। संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जायेगा।
- ✓ संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जायेगा। संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जायेगा। संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जायेगा।
- ✓ संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जायेगा। संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जायेगा। संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जायेगा।
- ✓ संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जायेगा। संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जायेगा। संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जायेगा।

(मुद्रित नाम
संकेत)

रहस्य

दिनांक:
09/08/2021

पुस्तक- संस्था/परीक्षा/BRKZ/2021/2518-4609

संस्थान-

GOVIND POLYTECHNIC COLLEGE, GOPALPUR, AKRAULI, TAHASEEL-CHANDIAULI, MORADABAD

(मुद्रित नाम
संकेत)

रहस्य

कार्यालय

राज्य प्राथमिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार।

संख्या: प्राथिप/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

तखतनः दिनांक: 30/08/2022

।कार्यालय जाय।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मेली काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा सार्वीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संभव हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित नई संस्थानों को सम्बद्धता पूर्व से संयोजित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मसौ पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार ये निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2022-23 हेतु नियोजित स्कोल के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1184-RADHA GOVIND POLYTECHNIC COLLEGE

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0अई0बी0टी0ई0बी0बी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (MAINTENANCE)	30	30
5	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
6	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

सम्बद्धता हेतु स्कोल

- ✓ संस्था ए0अई0बी0टी0ई0बी0बी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी स्कोल का पूर्णतः चलान करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, सेक्टर विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों को अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों हेतु (ए0बी0) पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के कार्मेली पाठ्यक्रम हेतु ₹0. 46000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षों पाठ्यक्रमों (टी) वर्षों कार्मेली पाठ्यक्रम के अधीन (ए0बी0) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अधीनका छात्र/छात्राओं से शुल्क के समर्थन में समय-समय पर चलान द्वारा निर्गत किये जाने वाले आदेशों/आदेशों को भी, और

अनुदान कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। पीछे निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु प्रेषण का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीछे की नवीनीकरण दे लाना होगी।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदनित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्दिष्ट नवीनीकरण के अनुसार निर्देशन एवं समझौता सुलभ बना कराना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्दिष्ट विधिविधान/विनियमन/समझौते/निर्देशों एवं निर्देशन, प्रशिक्षित शिक्षा, उपाध्य, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपाध्य तथा प्रशिक्षित शिक्षा परिषद, उपाध्य द्वारा बनाने गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्था का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में संस्था उपरोक्तित संस्था का हित और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था सचिव उपरोक्तित होगी। प्रशिक्षित शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रशिक्षित शिक्षा निर्देशन एवं प्रशिक्षित शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के निरस्त यदि कोई बात साफर किया जाता है तब टाउन हॉल के संबंध में न। व्यापकता द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निरस्त किया जाता है जो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करानी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश वर्ष प्रवेश हेतु आवेदित कार्यालय द्वारा होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा। अथवा उन्हे प्रवेश की कार्यालय के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आदेश पर/लिये प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषण हेतु समय-समय पर निर्दिष्ट नवीनीकरण आदेश नियमों का अनुपालन कराना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, समय-समय, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुलभ, (समझौता सुलभ आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त साधन उपलब्ध बनाने के साथ रैडिंग रूमों के संबंध में समस्त आवश्यक साधन सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो से कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपलब्ध बनाने गये अधिदेश, भूमि-आवर, छात्र-आवर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की समझौता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक सलीब निर्देशन के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, उपकरण, उपकरण एवं अन्य साधन-सुलभ ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०परिषद के माध्यम/द्वारा उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था की समझौता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ समझौता नहीं कर अनुपालन न किये जाने अथवा नहीं कर उपलब्ध किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(एफ०आई०) सचिव

सचिव

दिनांक: 30/08/2022

सूचना- प्राविशपरिषद समझौता/2022/7818-8435

प्राविशपरिषद
प्रधानाचार्यनिदेशक, RADHA GOVIND POLYTECHNIC COLLEGE


(एफ०आई०) सचिव

सचिव

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, गजपवाड़ा।**

संख्या- प्राविप/परिषद/सम्बद्धता/2023/12090001

सम्बद्धता दिनांक: 12-09-2023

कार्यालय भाषा-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मेली कर्जामित ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित द्वि-सत्रात्मक राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुसूचन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संघट्ट हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/ फार्मेली कर्जामित ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुसूचन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1184-RADHA GOVIND POLYTECHNIC COLLEGE			
क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आईआईटी/ए०आईआईटी/ए०आईआईटी द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुसूचित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुसूचित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (MAINTENANCE)	30	30
6	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुसूचा-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-3099/01/2022 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित समस्त संस्थाओं को जिन के डिप्टी कानॉनरी महासचिव में सीनियर डिप्टी कमिश्नर संख्या 5027/2023 में कानॉनरी महासचिव के अधीन स्थिति के अधीन सम्बद्धता निर्दिष्ट की जाती है।
- ✓ संघट्ट अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेली कर्जामित ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्दिष्ट की गयी शर्तें शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेली कर्जामित ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के शासन के अनुक्रम संख्या में समस्त महासचिव (पुणे, भवन, तैब उपकरण) अदि उपलब्ध है।
- ✓ संघट्ट उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एकर 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, सेक्टर विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्मित सशर्त शर्तों को अनुपालन करेगी तथा सुकम निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सुकम ही प्रवेश क्षमता के तहत किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रावासों के सुकम के सम्बन्ध में समय-समय पर संघट्ट द्वारा निर्दिष्ट किये जाने वाली सशर्त शर्तें प्रकटी होगी, और अनुसूचन कर्जामित शिक्षा तथा उपकरण होगा। सीनियर निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश का पूर्णतः पालन किया जाता है, तो प्रवेश को परीक्षात्मक रहे लागू होगी।
- ✓ संघट्ट में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।

- ✓ संसद को समझ-समझ पर निर्णित साकारदेश के अनुसार निर्देशन एवं सम्बद्धता मुक्त बना करना होगा।
- ✓ संसदन उत्तर प्रदेश सासन द्वारा निर्णित विधिनियमों/अधिनियमों/साकारदेशों/निर्देशों एवं निर्देशन, प्रक्रियात्मक विधान, 2000, संसुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2000 तथा प्राविधिक विधान परिषद, 2000 द्वारा कराये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संसदन का अधिक भारतीय तकनीकी विद्या परिषद/काजी की कार्यालय और इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समझा उत्तरदायित्व संसद का होगा और प्रक्रियात्मक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संसद सच उत्तरदायी होगी। प्राविधिक विधान परिषद, संसुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक विधान निर्देशालय एवं प्राविधिक विधान विभाग उत्तर प्रदेश सासन के विरुद्ध यदि कोई याच दायर किया जाता है तथा दायर याच के संबंध में या, जमानतवा द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्णित किया जाता है तो समझा प्रतिक्रिया संबंधित संसद को करनी होगी।
- ✓ संसदों को संसुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सासन द्वारा आदेश एवं के लिए आदेशित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालय प्रारंभ होने के पूर्व अधिक भारतीय तकनीकी विद्या परिषद/काजी की कार्यालय और इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उपरोक्त प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित हेतु समझ-समझ पर निर्णित यहीनाम आदेशन नियमों का अनुमोदन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संसद को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक विधान के पुराना मुद्रित वेबसाइट पर संसद को समझ सूचनाएं जैसे संसद की ऐतिहासिक वृद्धि भूमि, स्तम्भ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला मुक्त, छात्रसंख्या मुक्त आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संसद को विधान-प्रक्रिया हेतु उपसुक्त साकारदेश उपलब्ध कराने के साथ रेगिस्टर रखने के सम्बन्ध में संसद आचारसंहिता आदेशन सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संसद यह सुनिश्चित हो से कि संसद में प्रस्तावित/संशोधित पारलमण को पारने जाने हेतु निर्देशन समिति के समझ उपलब्ध कराये गये अधिनियम, भूमि-भवन, फर्निचर, उपकरण इत्यादि का यदि संसद द्वारा किसी 200 पारलमण के संसदन में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संसद उपलब्ध का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संसद संसद की सम्बद्धता सासन किने जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक विधान (समिधियों और उपसमिधियों, संसदों का सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली, 2000 के प्राविधिक/उत्तर परिषद को सासन पर अपने कार्यवाहियों, भवनों और फर्निचर को परिषद को परीक्षा के संसदन के लिए परिषद के अधिकार में रहेगी।
- ✓ संसद के अधिकार स्वीय निर्देशन के दौरान यदि संसद में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आईटीपीटी/पी०आईटीपीटी/परिषद के सासन/उत्तर उपलब्ध नहीं प्राप्त करता है तो संसद की सम्बद्धता सासन कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता नहीं का अनुमोदन न किये जाने अथवा नहीं का उत्साहन किने जाने की स्थिति में विधान/उत्तर अनुसाकारसंहिता कार्यवाही की जायेगी।


 (अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पु०सं०- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्राविधिक-

प्राचार्य/निदेशक, RADHA GOVIND POLYTECHNIC COLLEGE


 (अजीत कुमार मिश्र)

सचिव